न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

निगरानी संख्या 11/2020   तारीख रजू. 29.09.2020

1. विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रतन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

..........प्रार्थी/निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत मलारना चौड जरिये सरपंच
2. नाथूलाल कोली दत्तक पुत्र माधोलाल कोली पुत्र बदरीलाल जाति कोली निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

.........अप्रार्थीगण/गैरनिगरानीकार

उपस्थित – वकील निगरानीकर्त्ता श्री संदीप शर्मा एडवोकेट
वकील अप्रार्थी सं. 2 श्री रघु बंसल एडवोकेट

दिनांक 23.07.2025

निर्णय

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत मलारना चौड द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.1981 मिसल नं0 180/81 एवं पटटा जारी दिनांक 26.12.1992 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 नाथूलाल कोली दत्तक पुत्र माधोलाल कोली पुत्र बदरीलाल कोली निवासी मलारना चौड के नाम विवादित भूमि का आलोच्य पट्टा दिनांक 26.12.1992 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी करने पर उक्त ग्राम पंचायत मलारना चौड के आलोच्य आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत का आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण लायके निरस्त है। अदालत मातहत ने बिना सुनवाई का अवसर दिये गुपचुप तरीके से उक्त आदेश जारी किया है जो कि प्राकृतिक न्याय एवं सुने जाने के अधिकार में कतई विपरीत होने के कारण लायके निरस्त है। यह कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 148 के तहत आपत्ति नोटिस जारी कर प्रकाशित किये जाने चाहिए थे तथा प्रकाशन की तारीख से 1 माह तक आपत्ति का इंतजार किया जाना चाहिये तथा इस नोटिस को चस्पा नियम 148(2) के तहत दो प्रतियों में तैयार कर सहज दृश्य स्थान पर लगाई जानी चाहिये थी तथा दूसरी प्रति परिक्षेत्र में कम से कम दो प्रतिष्ठित नागरिको के हस्[illegible] स्वरूप कराने चाहिए थे लेकिन अदालत मातहत द्वारा ना तो आपत्ति नोटिस दो प्रतियों में तैयार किये गये ना ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये गये ना ही सहज दृश्य स्थान पर [illegible] की गई जिससे पता चलता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:28:44 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कि समस्त कार्यवाही गुपचुप तरीके से आपस में साजबाज करते हुए की गई है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश लायके निरस्त खारिज है। यह कि अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि आपत्ति नोटिस पर कही भी जारी करने की तारीख में अंको में काटा फासी की गई ना तो नोटिस न ही आदेश में कहीं भी यह अंकित है कि किस तारीख को नोटिस जारी किया गया तथा 30 दिवस पूरे हुये तथा नोटिस किस स्थान पर चस्पा किए गए। यह कि निगरानीकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये प्रार्थना पत्र में कहीं भी भूमि की पहचान, आकार सीमा आदि अंकित नहीं किया गया ना ही प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि गैर निगरानीकार उक्त स्थान पर काबिज है तथा किस प्रकार कब्जे में आया। यह कि पत्रावली में उपलब्ध तथाकथित मौके रिपोर्ट आपस में साज–बाज कर पंचायत में बैठाकर बनाई गई है। मौके का कोई निरीक्षण नहीं किया गया है तथा मौका रिपोर्ट में यह गलत अंकित किया गया है कि किसी गया है कि किसी पडोसी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है मौका रिपोर्ट में तीन वार्ड पंचो की अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर होना बताया है जबकि साथ ही सम्पूर्ण मौका रिपोर्ट पर कहीं भी किसी भी अडोसी–पडोसी के हस्ताक्षर नहीं है। अगर वास्तव में मौका रिपोर्ट मौका निरीक्षक कर बनाई होती तो उस पर आपत्ति नहीं करने वाले पडोसी–अडोसी के हस्ताक्षर जरूर होते। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर अप्रार्थी के कब्जे के बारे में ना तो कोई साक्ष्य ली गई ना ही उसने ग्राम पंचायत में यह बताया कि वह किस प्रकार कब्जे में आया तथा कब से काबिज है उक्त भूमि पर दीर्घ आधिपत्य साबित करने के लिए गैर निगरानीकार ने कोई सामग्री (साक्ष्य) पेश नहीं की। यह कि अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि गैर निगरानीकार ने अपने प्रार्थना पत्र में गलत प्रकार से अंकित करते हुए मौके की असल एवं वास्तविक स्थिति छिपाते हुये गलत नक्शा पेश कर आपस में साजबाज कर उक्त आदेश जारी कराया है। जबकि मौके की असल एवं वास्तविक स्थिति कतई भिन्न है। यह कि ग्राम पंचायत से आदेश पारित करने से भूमि यह साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की निलामी से उक्त भूखण्ड को युक्तियुक्त मूल्य प्राप्त नहीं होगा ना ही ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का प्रचलित मूल्य निर्धारित किया गया जो कि 1961 में नियम 286 का स्पष्ट उल्लंघन है। यह कि अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि उक्त विवादित स्थल नारायण कोली मिथ्या सम्मत 1971 में निगरानीकार के दादाजी को 15/– रू. में विक्रय कब्जा संभला दिया जा रहा तथा इसका विक्रय पत्र दो आने के स्टाम्प पर हस्ताक्षर कर सुपुर्द की थी तथा विवादित स्थल पर आज दिन तक निगरानीकार काबिज है उक्त विक्रय पत्र में सीमाएं निम्न प्रकार दर्ज है। पूर्व में आम रास्ता पश्चिम में माताजी का घर उत्तर में रामदेवजी का चौक दक्षिण में कल्याणसिंह जी का नोहरा (निगरानीकार के दादाजी) का नोहरा माधोलाल कोली व नाथुलाल का उक्त सम्पत्ति से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार पूर्व में विक्रय किये जाने के तथ्य को छिपाते हुए तथा मौके पर कब्जा निगरानीकार का होने के तथ्य को छिपाते हुये उक्त आदेश पारित साजबाज कर कराया गया है जो कि लायके निरस्त है। यह कि अदालत मातहत द्वारा प्राप्त किया गया उक्त आदेश में आकार नाम एवं आदि में सभी जगह अंको में काटाफासी हो रही है जिस पर किसी भी कि आपस में साजबाज कर [illegible] किया गया है।

वकील निगरानीकर्ता ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न रूलिंग पेश [illegible] —

1. 2015(2) DNJ(Raj.) 595 (a) दीर्घ कब्जा दीर्घ आधिपत्य [illegible] नहीं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:28:44 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(b) ना ही ग्राम पंचायत ने ऐसी संतुष्टि लेखबद्ध की कि निलामी से युक्तियुक्त मूल्य प्राप्त नहीं होगा।

2. 2019 CJ(1) Civil (Raj.) Page 78 (1) आवेदन में कब्जे की अवधि का खुलासा नहीं।

3. 2015(1) DNJ(Raj.) Page 443 दीर्घ कब्जा साबित नहीं। यह सुविष्ट नहीं कि निलामी से युक्तियुक्त मूल्य प्राप्त नहीं होगा।

4. नकल नियम 144 पंचायती राज नियम

5. 2016 (3) Cj Civil (Raj.) 1818

वकील निगरानीकर्ता ने अंत में निगरानी अधीन आदेश व पट्टा निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

वकील गैर निगरानीकर्त्ता द्वारा बहस में वकील निगरानीकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खंडन करते हुए तर्क दिया गया कि उनके पक्षकार को ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत तरीके का पालन करते हुए निर्धारित शुल्क जमा करवाकर ही कब्जे का आधार पर पटटा जारी किया गया है जो कि पूर्णतयाः वैध है। साथ ही यह भी तर्क दिया कि उनके पक्षकार को पटटा जारी किये जाने से पूर्व मौका देखा गया था। मौके पर कब्जे के आधार पर ही पटटा बनाया गया है। अंत में वकील गैर निगरानीकर्ता ने निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत की गई तथ्यहीन निगरानी को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में विवादित भूमि के आवंटन में पडौसी के हस्ताक्षर नहीं होने, गलत तरीके से पटटा जारी करने एंव विवादित भूमि पर स्वयं का दीर्घ आधिपत्य होना कथन किया है, परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है जिससे विवादित भूमि पर स्वयं का कब्जा साबित होता हो अथवा उक्त भूमि पर पूर्व से काबिज चले आ रहे हों। निगरानीकर्ता ने कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे निगरानीकर्ता को उक्त विवादित भूमि से हित प्रभावित हो रहा हो। निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गई रूलिंग उक्त प्रकरण पर लागू नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय की उपलब्ध पत्रावली में आपत्ति मांगने का सूचना पत्र दो व्यक्तियों के सामने चस्पा किया जाना दर्शित होता है। मौका रिपोर्ट दिनांक 03.09.81 के अनुसार पचों द्वारा मौका देखा गया तथा मौके पर किसी पडौसी अथवा निगरानीकर्ता की किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा गैरनिगरानीकार संख्या 2 को पटटा जारी होने के लगभग 30 वर्ष बाद निगरानी पेश की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है। अतः निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

(... शर्मा)

अ... क्त ... कलेक्टर,

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:28:44 IST
Reason: SelfAttested